माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

(51)

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

II/निगरानी/सीधी/भू.रा./2018/0074

श्री ... द्वारा आज दि० 4-1-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

S.L. Dhurve 4/1/18

1- श्रीमती कुसुमकली वैवा पत्नी स्व0 श्री सत्यनारायणराम ब्राह्मण, आयु 62 वर्ष

2- शोभनाथ पुत्र स्व0 श्री सत्यनारायणराम

3- लक्ष्मीकान्त शुक्ला पुत्र स्वर्गीय श्री सत्यनारायणराम, निवासीगण- ग्राम कपूरी वैदोलिहान, तहसील चुरहट, जिला सीधी (म0प्र0)

-- आवेदकगण

बनाम

1- रोशन शुक्ला स्व0 श्री सत्यनारायणराम

2- सूर्यभान शुक्ला स्व0 सत्यनारायणराम, ग्राम कपूरी वैदोलिहान, तहसील चुरहट, जिला सीधी (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

<u>निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.12.2017 पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, चुरहद, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 288/2016-17 अपील।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-</u>

1. यहकि, ग्राम कपूरी वैदोलिहान, तहसील चुरहट, जिला सीधी के भूमि सर्वे नम्बर 286 रकवा 0.31, 288 रकवा 0.54, 289/2 रकवा 0.09, 312 रकवा 0.07, 320 रकवा 0.20, 321 रकवा 0.23, 346 रकवा 0.22, 349 रकवा 0.04, 359 रकवा 0.36, 532 रकवा 0.08, 822 रकवा 0.02 कुल किता 11, कुल रकवा 2.16 है. सह-भूमिस्वामी स्वत्व आवेदकगण एवं अनावेदकगण के स्वत्व पर बराबर भाग 1/5 का रहा है तथा भूमियाँ खसरा क्रमांक 293 रकवा 0.17, 533 रकवा 0.09, 824 रकवा 0.07, 849 रकवा 0.05, 852 रकवा 0.08, 853 रकवा 0.04, 863 रकवा 0.13 कुल किता 07, कुल रकवा 0.63 हैक्टेयर जो सह-स्वामित्व आवेदक क्रमांक 2 व अनावेदकगण के नाम 1/4 भाग का हिस्सा बराबर रहा है। तहसीलदार चुरहट द्वारा आपसी सहमति के आधार पर आवेदक क्रमांक 2 एवं अनावेदकगण के नाम भौतिक कब्जा एवं बंटवारा कर नामान्तरण स्वीकार किया गया। जिसके खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चुरहट के समक्ष राजस्व प्रकरण क्रमांक 287/16-17/अपील एवं 288/16-17/

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/सीधी/भू.रा./2018/0074

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एल. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के प्रकरण क्रमांक 288/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	